हुक्म की तारि
में जारी हु

राजस्थान सरकार

न्यायायल उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर नीमराना (अलवर)

प्रशासन गांवो के संग कैम्प, भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केन्द्र,नंगलीबलाई तह0 नीमराना (अलवर)

पीठासीन अधिकारी : श्री मुकुटसिंह (आर.ए.एस.)

इंतकाल अपील संख्या	तारीख रजू :	निर्णय दिनांक :
06 / 2021	23.03.2021	20.12.2021

उनवानः

1. हितेश उम्र 23 वर्ष पुत्र श्री मानसिंह जाति चमार निवासी ग्राम अर्डीन्द तहसील नीमराना जिला अलवर राज0।
2. सचिन कुमार उम्र 19 वर्ष पुत्र श्री मानसिं जाति चमार निवासी ग्राम अर्डीन्द तह0 नीमराना जिला अलवर राज0 ।

......अपीलान्टान

बनाम

1. सरपंच ग्राम पंचायत महतावास पंचायत समिति नीमराना जिला अलवर राज0

.......रेस्पोडेन्ट

अपील विरूद्ध आदेश दिनांक 22.10.2020 बाबत इंतकाल सं0 1084

उपस्थिति :— श्री मकरध्वज शर्मा योग्य अधिवक्ता वादीगण की ओर से

|| निणर्य ||

पत्रावली प्रशासन गावों के संग कैम्प नंगलीबलाई मे पेश हुई । अपीलान्ट द्वारा पेश अपील के सुक्षम वृतान्त निम्न प्रकार है कि आराजी खसरा नम्बर आराजी खसरा नम्बर हाल 144 रकबा 0.19 है0, 145 रकबा 0.12 है0 वाके ग्राम अर्डीन्द तह0 नीमराना जिला अलवर राज0 मे पटवारी हल्का द्वारा मृतक सावंलराम पुत्र श्री पेमाराम जाति चमार निवासी अर्डीन्द तह0 नीमराना की विरासत का इंतकाल सं0 1084 जरिये वसीयतनामा तहरीर दिनांक 23.12.2013 व तस्दीक दिनांक 24.12.2013 के आधार पर अपीलान्टान के नाम से भरकर जिसकी जांच भू.अ. निरीक्षक से करवाकर,इंतकाल को स्वीकृति हेतु सक्षम अधिकारी सरपंच ग्राम पंचायत महतावास के समक्ष पेश किया गया। जिस सरपंच ग्राम पंचायत महतावास द्वारा बिना मौका की वास्तविक रिपोर्ट मंगवाये व बिना मौका देखे ही व बिना पक्षकारान को सुने, तथा बिना किसी प्रकार की आपत्ति के खिलाफ मौका, खिलाफ कानून, नियम विरूद्ध तरीके से खसरा नम्बर 144,145 पर महेन्द्र पुत्र सांवलराम का कब्जा होना अंकित करते हुऐ इंतकाल को दिनांक 22.10.2020 को खारिज कर दिया गया जो आदेश दिनांक 22.10.2020 खिलाफ मौका, खिलाफ कानून नियम विरूद्ध पारित किया जाने के कारण निरस्त किया जा[...]ते इंतकाल को वसीयत के आधार पर अपीलान्टान के नाम स्वीकृत किया जा[...] फरमाया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Mukut Singh
Date: 2023.02.16 12:06:20 IST
Reason: SelfAttested

अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर कि जाकर रेस्पोडेन्ट को जरिये नोटिस तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट बाद तामिल उपस्थित नही होने के कारण उनकी अनुपस्थिती दर्ज कर एक तरफा कार्यवाही अमल मे लायी गई । तथा पत्रावली वास्ते बहस नियत की गई

अपीलान्टान के प्रार्थना पत्र पर पत्रावली को प्रशासन गावों के संग कैम्प नंगलीबलाई मे तलब की गई। वकील अपीलान्टान की एक पक्षीय बहस सुनी गई ।

हमने वकील अपीलान्टान की बहस पर गहनता से मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध रजिस्टर्ड वसीयत दिनांक 24.12.2013 का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया, जिस वसीयत के आधार पर वसीयत कर्ता द्वारा खसरा नम्बर 144,145 वाके ग्राम अर्डीन्द

मानसिंह के पक्ष मे की गई है। जिस वसीयत के आधार पर पटवारी हल्का द्वारा इंतकाल संख्या 1084 भरकर सरपंच ग्राम पंचायत महतावास के समक्ष पेश किया गया । जिस इंतकाल को सरपंच ग्राम पंचायत द्वारा मौके पर महेन्द्र पुत्र सांवलराम का कब्जा होने का नोट लगाकर इंतकाल को खारिज करने का आदेश पारित किया गया है जबकि महेन्द्र पुत्र सांवलराम द्वारा ग्राम पंचायत मे आपत्ति दर्ज करवाने या ग्राम पंचायत की मिटिंग मे उपस्थित होकर मौखिक रूप से ऐतराज करने बाबत कोई तथ्य पत्रावली पर उपलब्ध नही है ना ही सरपंच ने अपने आदेश मे महेन्द्र पुत्र सांवलराम का मौके पर कब्जा किस प्रकार है कब्जा की जानकारी कहां से प्राप्त हुई इस बाबत आदेश मे कोई तथ्य अंकित नही किये गये है। इसलिए मौके पर महेन्द्र पुत्र सांवलराम का कब्जा होना लिखाना ही पर्याप्त नही है।इसलिए रजिस्टर्ड वसीयत के आधार पर दर्ज इंतकाल को सरपंच ग्राम पंचायत महतावास द्वारा बिना किसी युक्ति युक्त कारण के खारिज किया जाना साबित होने के कारण, सरपंच ग्राम पंचायत महतावास द्वारा इंतकाल सं0 1084 वाके ग्राम अर्डीन्द की बाबत पारित आदेश दिनांक 22.10.2020 निरस्त होने योग्य पाया जाता है।

।। आदेश ।।

अतः सरपंच ग्राम पंचायत महतावास पंचायत समिति नीमराना द्वारा इंतकाल सं0 1084 वाके ग्राम अर्डीन्द की बाबत पारित आदेश दिनांक 22.10.2020 को निरस्त फरमाया जाता है तथा तहसीलदार नीमराना को आदेश दिया जाता है कि वो इंतकाल सं0 1084 वाके ग्राम अर्डीन्द तह0 नीमराना को मंजूर कर, उसका अमल राजस्व रिकार्ड मे किया जावे तथा तहसीलदार नीमराना को आदेश की पालनार्थ आदेश की प्रति सहित, पत्र जारी हो । पत्रावली फैसल शुमार होकर, दफतर दाखिल हो ।

आदेश आज दिनांक 20.12.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया ।

मुकुटसिंह
(आर.ए.एस)
उपखण्ड अधिकारी,
नीमराना(अलवर) राज0

शिविर प्रभारी
उपखण्ड अधिकारी नीमराना
अलवर (राज०)

Signature Not Verified

Digitally signed by Mukut Singh
Date: 2023.02.16 12:06:20 IST
Reason: SelfAttested